NoNZA खतौनी उद्धरण

~~पट्टी~~ ग्राम - मंजोखी पट्टी - किचलाडांग -I रा.नि.क्षे.-सिलोगी तह-लैंसडौन गढ़वाल

श्रेणी 9(ख)(2)

1	2	3	4	5	6	7	~~से~~ 21 तक
	15	झाड़ी		157	306 III / 6.153	धमाईखड	तहसीलदार लैंसडौन के आदेश दि० 26-3-18 एवं कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल आदेश सं० -1190/26 - प्रशा० अधि० (सा० प्रशा०)/2018 दिनांक पौड़ी मार्च 21, 2018, आदेश - जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कि०मी० 5700 के लै० 2 (जो०डी०मार०) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु ~~ग्राम मंजोखी~~ उपजिलाधिकारी लैंसडौन की आख्या एवं शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार ग्राम - मंजोखी पट्टी कि० डांग I तहसील लैंसडौन की तौन जेड. ए. खतौनी खाता सं० -15 के खसरा न० 157 रकबा 6.153 है० मध्ये 5.983 है० खसरा न० 3317 रकबा ~~2.891~~ 1.920 है० खसरा न० 3337 रकबा 2.891 है० एवं खसरा न० 3352 रकबा 0.524 है० कुल रकबा 11.318 है० श्रेणी 9(ख) (2) में उत्तराखण्ड सरकार के नाम झाड़ी दर्ज है, भूमि को क्षति पूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है हस्ताक्षर सुशील कुमार जिलाधिकारी गढ़वाल,
		झाड़ी		3317	684 III / 1.920	वनरगड़	
		झाड़ी		3337	944= / 2.891	वनरगड़	
		झाड़ी		3352	26= / 0.524	वनरगड़	
				364	1893211=		
			नकल असल से की			गयी है	

पुष्कर सिंह
राजस्व उपनिरीक्षक
पट्टी किच० डांग-I
तहसील लैंसडौन
जिला पौड़ी
3/5/19

डायरी नं0 257
पत्रांक..............
दिनांक 2/4/18

केवल **E-Mail/Fax** द्वारा

।। कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल ।।

E-Mail ID:dmgarhwal@gmail.com /PHONE- 01368-222250/Fax: 222080

संख्याः 1190 /26–प्रशा0अधि0(सा0प्रशा0)/2018, दिनांक पौडी मार्च-21, ,2018

आदेश

उपजिलाधिकारी लैन्सडौन ने अपने पत्र दिनांक 31.01.2018 के द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कि0मी0 57.00 के टी0 2 (जो0डी0आर0) से मंजखोली मोटर मार्ग (7.600 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु ग्राम मंजोखी पट्टी बिचला ढांगू तहसील लैन्सडौन की नॉन जेड0ए0 खतौनी खाता सं0 15 के खसरा नं0 157 रक्वा 6.153 है0 मध्ये 5.983 है0, खसरा नं0 3317 रक्वा 1.920 है0, खसरा नं0 3337 रक्वा 2.891 है0 एवं खसरा नं0 0.524 है0 कुल रक्वा 11.318 है0 भूमि,श्रेणी 9 (ख)(2) में उत्तराखण्ड सरकार के नाम झाड़ी दर्ज भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित कर प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित भूमि में कोई ऐतिहासिक स्थल, मन्दिर, मस्जिद, कब्रस्तान, शमशानघाट, चारागाह, पनघट आदि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

2. शासनादेश संख्याः 2173/XVII (2)/2012–18 (120)2010 दिनांक 17.12.2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजना के लिए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 20,000 है0 सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राधिकारी जिलाधिकारी को प्रतिनिधायित किया गया है।

अत जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कि0मी0 57.00 के टी0 2 (जो0डी0आर0) से मंजखोली मोटर मार्ग (7.600 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु उपजिलाधिकारी लैन्सडौन की आख्या एवं शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार ग्राम मंजोखी पट्टी बिचला ढांगू तहसील लैन्सडौन की नॉन जेड0ए0 खतौनी खाता सं0 15 के खसरा नं0 157 रक्वा 6.153 है0 मध्ये 5.983 है0, खसरा नं0 3317 रक्वा 1.920 है0, खसरा नं0 3337 रक्वा 2.891 है0 एवं खसरा नं0 0.524 है0 कुल रक्वा 11.318 है0 भूमि,श्रेणी 9 (ख)(2) में उत्तराखण्ड सरकार के नाम झाड़ी दर्ज भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तर किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपजिलाधिकारी/तहसीलदार लैन्सडौन तद्नुसार अभिलेखों में अमलदरामद की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी,गढ़वाल।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1– सचिव,राजस्व विभाग,उत्तराखण्ड शासन,देहरादून।
2– आयुक्त,गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3– नोडल अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी,गढ़वाल वन प्रभाग,पौड़ी।
4– अधिशासी अभियन्ता,पी0एम0जी0एस0वाई0सिंचाई खण्ड,कोटद्वार ।
5– उपजिलाधिकारी/तहसीलदार,लैन्सडौन।

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी,गढ़वाल।

23/3/18

प्रेषक,

तहसीलदार
लैन्सडौन।

सेवामें,

जिलाधिकारी
गढवाल।

द्वारा – उप जिलाधिकारी लैन्सडौन।

संख्या – 102 /र0का0 (2017–18) दिनांक लैन्सडौन जनवरी 31, 2018।

विषय – जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कि0मी0 57.00 के टी0 2 (जो0डी0आर0) से मंजोखी मोटर मार्ग(7.600 कि0मी0) के नव निर्माण के लिये क्षतिपूरण वृक्षारोपण हेतु भूमि प्रस्ताव प्रेषण के सम्बन्ध में।

–0–

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0–सिंचाई खण्ड कोटद्वार (गढवाल) का पत्रांक 32 पी0एम0जी0एस0वाई0 सि0ख0/वनभूमि दिनांक 8.01.2018 जो कि जिलाधिकारी महोदय गढवाल को सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कि0मी0 57.00 के टी0 2 (जो0डी0आर0) से मंजोखी मोटर मार्ग(7.600 कि0मी0) के नव निर्माण के लिये क्षतिपूरण वृक्षारोपण हेतु राजस्व उप निरीक्षक विचला ढांगू–1 के द्वारा जांच कराई गई है। क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक ने उक्त प्रयोजना हेतु निम्न प्रकार भूमि चयन कर प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

राजस्व उप निरीक्षक बिचला ढांगू–1 ने अपनी आख्या से अवगत कराया है कि उक्त प्रयोजना हेतु पर्वू में ग्राम मंजोखी पटटी बिचला ढांगू के नॉन जेड0ए0 खतौनी खाता स0 15 मध्ये 9.800 हे0 भूमि का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था किन्तु संबंधित विभाग के द्वारा वर्तमान में 9.800 हे0 सिविल भूमि के बजाय क्षतिपूरण वृक्षारोपण हेतु 5.659 हे0 भूमि के सापेक्ष दुगने 11.318 हे0 सिविल भूमि की मांग की गई है।

अवगत कराना है कि राजस्व उप निरीक्षक विचला ढांगू–1 द्वारा वर्णित प्रयोजना के निर्माण हेतु ग्राम मंजोखी पटटी बिचला ढांगू–1 नॉन जेड0ए0 खतौनी खाता स0 15 के खसरा न0 157 रक्वा 6.153 हे0 मध्ये 5.983 हे0, ख0न0 3317 रक्वा 1.920 हे0, ख0न0 3337 रक्वा 2.891 हे0 एवं ख0 न0 0.524 हे0 कुल रक्वा 11.318 हे0 भूमि का चयन कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जो कि नॉन जेड0ए0 खतौनी के श्रेणी 9(ख)(2) में उत्तराखण्ड सरकार के नाम झाडी दर्ज अभिलेख है।

क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक ने अपनी आख्या से यह भी अवगत कराया है कि प्रस्तावित भूमि में कोई ऐतिहासिक स्थल, मन्दिर, मस्जिद, कब्रस्तान, शमशानघाट, चारागाह, पनघट, आदि सार्वजनिक उपयोग की नही है। क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा प्रस्तावित भूमि का नक्शा, खसरा एवं नकल नॉन जेड0ए0 खतौनी प्रस्तुत की गई है, जो कि सलग्न है।

अतः आख्या सेवामें प्रेषित है।

सलग्न – यथोपरि।

भवदीय

(राजेन्द्र प्रसाद रतूडी)
प्र0तहसीलदार लैन्सडौन।

जिलाधिकारी महोदय गढवाल को संस्तुति सहित अग्रसारित।

31/01/18

उप जिलाधिकारी
लैन्सडौन।

State: [Uttarakhand]
Role : [Applicant]

01